# HAPUR POLICE

## OPERATION CONVICTION

**हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए एक राय होकर धारदार हथियार से लैस होकर जानलेवा हमला करने के मामले में 06 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व 51,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।**

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 31.03.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा एक राय होकर धारदार हथियार से लैस होकर जानलेवा हमला करने के मामले में 06 आरोपियों को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 15.11.2013 को अभियुक्तगण 1. ब्रहमपाल पुत्र लक्षमण, 2. लोकेश पुत्र रूपराम, 3. मुकेश पुत्र रूपराम, 4. रूपराम पुत्र शेरसिंह, 5. बसंत पुत्र शेरसिंह, 6. सुखपाल पुत्र शेरसिंह निवासीगण ग्राम नवादा खुर्द थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा एक राय होकर धारदार हथियार से लैस होकर जानलेवा हमला करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर मु0अ0सं0 205/2013 धारा 147, 148, 149, 323, 325, 308, 504 भादवि व 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 22.12.2013 आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 31.03.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल एससी/एसटी एक्ट हापुड़ द्वारा 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 51,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमती विनीता त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक तत्कालीन सीओ गढ श्री ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, पैरोकार है0का0 रवि चिकारा व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 सोनू का विशेष योगदान रहा